. P. STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
Paryatan Bhawan, Bhadbhada Road, Bhopal
Tel.: 0755-4027100, Fax: 0755-2774289

Tender no. 10284 Date :24-12-2014

SHORT TERM TENDER NOTICE

Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation invites sealed offers from professionals for preparing tableau on turnkey basis depicting the **"NURTURING THE FUTURE"** undertaken by the State. The scope of work and other details are mentioned in the Tender Document. Tender documents can be downloaded from **www.mpstdc.com**. The tender can be submitted till 05/01/2015 up to 3.00 p.m. and the bid will be opened on 05/01/2015 at 3.30 p.m at **Paryatan Bhawan, Bhadbhada Road, Bhopal.**

Chief General Manager (Plg.)

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

''तकनीकी निविदा प्रपत्र''

लिफाफा क्रमांक -1 हेतु

विषयः— गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2015 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झॉकी की प्रस्तुति हेतु।

1. निविदा क्रमांक :— ....रसीद क्रमांक ....दिनांक ....
2. निविदाकर्ता का नाम :— ....
3. निविदाकर्ता का पता :—...
   ....
4. निविदाकर्ता का पेन/टिन नम्बर :— ....
5. अनुभव प्रमाण पत्रों का विवरण :— ....
6. अन्य विवरण :— ....

संलग्न :— निविदा की शर्ते एवं परिकल्पना।

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

<u>मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम,</u>
<u>पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल</u>
''वित्तीय प्रस्ताव निविद प्रपत्र''

लिफाफा क्रमांक –2 हेतु

विषयः– **गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2015 को लाल परेड मैदान भोपाल में पर्यटन विभाग झॉकी की प्रस्तुति हेतु।**

1. निविदा क्रमांक :– ....रसीद क्रमांक ....दिनांक ....
2. निविदाकर्ता का नाम :– ....
3. निविदाकर्ता का पता :–..
   ....
4. निविदा की दर (सभी कर सहित) रू..
   (अंकन रूपये...)

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)

(मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम)
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल
विभागीय झॉकी निर्माण संबंधी शर्ते – 2015

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह 2015 के उपलक्ष्य में भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित विषय पर आधारित विभागीय चल झॉकी के सम्पूर्ण निर्माण, उसकी सजावट एवं प्रदर्शन के लिए झॉकी निर्माण से संबंधित शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. झॉकी निर्माण हेतु दरें सभी कर सहित दी जायें।
2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपनी निविदा के साथ प्रतिभूति के बतौर 20,000/–(बीस हजार रुपये) मात्र का अरेखांकित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का ''प्रबन्ध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल'' के हित में संलग्न करना अनिवार्य होगा। असफल निविदा प्रस्तुतकर्ताओं को उनकी प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट/चैक यथाशीघ्र वापस कर दिया जायेगा।
3. झॉकी निर्माण एवं सजावट का समस्त कार्य ठेके पर होगा अर्थात् झॉकी–निर्माण एवं प्रदर्शन के पश्चात् संबंधित झॉकी निर्माता अपना सामान वापस ले जायेगा। सामान की सुरक्षा के लिये विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. निविदा प्रस्तुतकर्ता के पास शासकीय विभाग अथवा उपक्रम की झॉकी के निर्माण का कम से कम तीन वर्षों का निरंतर अनुभव होना आवश्यक है। इसके प्रमाण स्वरुप व्यक्तिगत तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण पत्रों की वर्षवार सूची बनाकर फोटो प्रतियॉ अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. जिन कलाकारों/शिल्पकारों व्दारा झॉकी के निर्माण व उसकी सजावट का निर्देशन एवं मार्गदर्शन किया जायेगा, निविदा प्रस्तुतकर्ता अपनी निविदा के साथ उनका सहमति पत्र एवं उनके व्दारा इस तरह के कार्य के अनुभव बाबत् प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
6. निर्धारित समय के पश्चात्, बिना प्रतिभूति राशि के, अस्पष्ट, अपूर्ण, अनसील्ड एवं काट–छॉट वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने और सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार ''प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल'' के पास सुरक्षित रहेंगे। इस मामले में प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं सर्वसंबंधित पक्षों के लिये मान्य एवं बंधनकारी होगा।
9. झॉकी के लिये उपयुक्त/सही ट्रेक्टर/ट्रॉली, चालक डीजल/पेट्रोल, बैट्री आदि का इंतजाम झॉकी निर्माता को स्वयं करना होगा। झॉकी निर्माणकर्ता ही जीवंत दृश्यों हेतु कलाकार/सहभागी व्यक्तियों की व्यवस्था करेगा। झॉकी प्रदर्शन की समाप्ति तक ट्रेक्टर–ट्राली को कार्यशील और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निर्माता की होगी। झॉकी प्रदर्शन के प्रारम्भ से समाप्ति तक निर्माता अथवा सक्षम/जिम्मेदार प्रतिनिधि को आवश्यक साधनों और कारीगर सहित झॉकी के साथ–अनिवार्यतः रहना होगा।

10. झॉकी निर्माण हेतु ट्राली पर मजबूत निर्माण कर इतना एक्सटेन्शन करना होगा कि झॉकी के पूर्ण दृश्य स्पष्ट और सही ढंग से समाहित हो सकें।

11. झॉकी का निर्माण कार्य (सजावट एवं प्रदर्शन सहित) विभाग की अनुमोदित डिजाइन और कार्य–योजना के अनुसार लाल परेड मैदान के झॉकी निर्माण स्थल पर ही संस्कृति विभाग और निर्धारित तिथि तक हर दृष्टि से पूर्ण करना होगा, जिससे कि राज्य स्तरीय समिति व्दारा निरीक्षण किया जा सके।

12. विषय वस्तु को उभारने की दृष्टि से निर्माण/सजावट के दौरान झॉकी में कोई आंशिक परिवर्तन करना आवश्यक हुआ, तो उसके संबंध में कार्यालय के प्राधिकारी व्दारा यथा समय झॉकी निर्माता को मौखिक रुप से सूचित किया जायेगा। इस मामले में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

13. झॉकी का कोई भाग विभाग की अपेक्षा/डिजाइन/कार्य योजना के अनुसार न होने पर निर्माता को सही और संतोषजनक नया निर्माण/सजावट कार्य अपने खर्च पर करना होगा। यह कार्य झॉकी निर्माण के मूल कार्य का ही अंग माना जावेगा।

14. झॉकी निर्माण एवं उसकी सजावट के उपयोग में लाये गये सामान की गुणवत्ता व मजबूती में किसी प्रकार की कमी होने पर झॉकी निर्माण हेतु विभाग व्दारा आदेश निरस्त कर झॉकी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी एवं उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर उसे कोई भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

15. झॉकी निर्माण के दौरान विभाग के सक्षम अधिकारी और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम व्दारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. झॉकी निर्माण के लिये निर्माता को कोई अग्रिम राशि इस कार्यालय व्दारा नहीं दी जायेगी। झॉकी के निर्माण के लिये देय राशि का भुगतान संतोषजनक कार्य उपरांत तीन प्रतियों में देयक प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।

17. विभागीय झॉकी निर्माण और उसकी सजावट के लिये प्राप्त निविदाओं पर निर्णय निम्नांकित क्रमानुसार मापदण्डो के आधार पर होगा :–
    (अ) झॉकी निर्माण से जुड़ने वाले कलाकारों/शिल्पकारों की प्रतिष्ठा एवं उनका पूर्वानुभव।
    (ब) निविदा में दर्शाई राशि।
    (स) निविदाकार को अपेक्षित जानकारियॅा दो लिफाफों में पृथक–पृथक देना होगी, जिसमें कंडिका क्रमांक 1,3,4,17(अ) की जानकारी एक लिफाफे में तथा वित्तीय प्रस्ताव की जानकारी दूसरे लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी।

18. निविदा प्रस्तुतकर्ता को इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ''सहमत हूँ'' शब्द अंकित करते हुए अपने प्रतिष्ठान की सील सहित हस्ताक्षर करके ये शर्तें अपनी निविदा के साथ संलग्न करना होगी अन्यथा यह माना जायेगा कि उन्हें उपरोक्त शर्ते स्वीकार नहीं हैं एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य महाप्रबंधक (योजना)
मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

झॉकी की परिकल्पना

पर्यटन विभाग

26 जनवरी 2015

''नरचरिंग द फ्यूचर''

(बच्चों के लिये मध्यप्रदेश)

गणतंत्र दिवस– 2015 के अवसर पर **''नरचरिंग द फ्यूचर '' (बच्चों के लिये मध्यप्रदेश)** विषय पर आधारित झॉकी का प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित है। इस झॉकी में निम्नांकित को दर्शाया गया है।

1. सॉची के बौद्ध स्तूप परिसर में बच्चों को शांति का संदेश देते हुए।
2. मोगली लेन्ड पेंच में बच्चों को प्रकृति के साथ वन्यप्राणियों से रूबरू कराते हुए।
3. जल प्रपात के साथ बच्चों की अटखेलियॉ।
4. ट्रेकिंग करते हुए बच्चे।
5. वाटर पैरासेंलिंग का आनंद लेते हुए बच्चे।
6. बच्चों द्वारा रिवर राफ्टिंग का दृश्य।
7. शिक्षा मिशन के अंर्तगत भ्रमण "खोज यात्रा"।

उपरोक्त झॉकी के प्रदर्शन हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से श्री मुकेश कपूर, मुख्य महाप्रबंधक (योजना) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनका मोबा. – 9424796669 तथा श्री एन.के. स्वर्णकार, वरि. प्रबंधक सहायक के रूप में कार्य करेंगे जिनका मोबा. 9424796714 है।